उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय–लखनऊ

परिपत्र संख्या– सी - 102 /लेखा/2017–18 दिनांक : 28·03-2018

समस्त शाखा प्रबंधक
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश

विषयः– शाखाओं पर प्रतिदिन होने वाले लेन–देनों व अन्य अभिलेखों के आन्तरिक जांच के सम्बंध में।

नाबार्ड द्वारा किए गए 24वें स्वैच्छिक निरीक्षण के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि अधिकांश शाखाओं में प्रतिदिन होने वाले लेन देनों एवं अन्य अभिलेखों पर ओवर राइटिंग एवं कटिंग किया जाता है तथा विशेष कारणवश की गई कटिंग पर प्रमाणीकरण नहीं किया जाता है जो एक गम्भीर प्रकरण है। यह भी संज्ञान में आया है कि लाभांश का समायोजन/ भुगतान सम्बंधित ऋणी के व्यक्तिगत ऋण खाते में नहीं किया जा रहा है एवं जिन ऋणी कृषक के खाते बन्द हो गये है उन्हें लाभांश का भुगतान नहीं किया जा रहा है। शाखाओं पर जो भी अभिलेख तैयार किए जाते है, का दूसरे कर्मचारी द्वारा जांच नहीं की जाती है जिससे अभिलेखो में त्रुटि की संभावना बनी रहती है। इस सम्बंध में निम्न निर्देश दिये जाते हैः–

1.ऋणी कृषक द्वारा किस्त की धनराशि जमा करने के उपरान्त रसीद पर द्वितीय हस्ताक्षर करते समय शाखा प्रबन्धक यह सुनिश्चित करें कि जमा धनराशि का ऋणी के व्यक्तिगत ऋण खाते में नियमानुसार इन्द्राज (पोस्टिंग) कर दिया गया है एवं ब्याज का आंकलन सही सही किया गया है। ऋण खातों में मूलधन एवं ब्याज की अदायगी पृथक दर्शायी जानी चाहिए।

2. नाबार्ड निरीक्षण दल एवं संविधिक आडिटर्स ने अपनी रिर्पोट में अनर्जक अस्तियों (एन0पी0ए0) के वर्गीकरण में विचलन(diversion) पाया है। जैसा कि आप अवगत है कि अनर्जक अस्तियों के वर्गीकरण में विचलन होने से आई0एन0सी0 एवं इस पर होने वाले प्रावधान प्रभावित होती है जिससे बैंक का लाभ हानि खाता भी प्रभावित होता है। अतः इन खातों के आंकलन करते समय सावधानियां रखी जाएँ एवं जिन कार्मिकों द्वारा इसका आंकलन किया गया है के अतिरिक्त शाखा प्रबंधकों द्वारा नियुक्त कार्मिक द्वारा इसकी जांच अवश्य कर ली जाए एवं जांचकर्त्ता कार्मिक से एन0पी0ए0 रजिस्टर पर भी हस्ताक्षर करायें जाये।

3. अनर्जक अस्तियों (एन0पी0ए0) का आंकलन करते समय आई0एन0सी0 खाते की सूची बनाकर एन0पी0ए0 हुए खाते के आई0एन0सी0 रजिस्टर में पोस्टिंग कर आई0एन0सी0 ब्याज की लेखा प्रविष्टि से पूर्व इसकी जांच इस निमित्त नियुक्त(नियुक्ति शाखा प्रबंधक द्वारा किया

.....2.....

जायेगा) कार्मिक से करा ली जाए एवं आई0एन0सी0 की सूची पर जांचकर्ता के हस्ताक्षर करवाए जाए, जिसकी पुष्टि शाखा प्रबंधक के द्वारा की जायेगी।

4.अर्जक खाते (पी0ए0) पर छमाही ब्याज लगाते समय ब्याज की जांच कराकर लेखा प्रविष्टि करायी जाए एवं जांच की प्रकिया उपर्युक्त बिन्दु संख्या–2 की तरह अपनायी जाए।

5. अनर्जक खाते (एन0पी0ए0) से वसूली होने पर आई0एन0सी0 खाते के ब्याज का जांचोपरान्त नियमानुसार अर्जित ब्याज (Interest Earned)खाते में अन्तरित कर दिया जाए।

6. शाखा पर रखे जाने वाले अन्य अभिलेखों की जांच दूसरे कार्मिक से करायी जाए,जिसकी नियुक्ति शाखा प्रबंधकों द्वारा की जाएगी सम्बंधित कार्मिक द्वारा जाचोपरान्त अभिलेख पर हस्ताक्षर भी किये जायेगें। यदि किसी अभिलेख की जांच न होने के कारण कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो इसकी जिम्मेदारी शाखा प्रबंधक की होगी।

7.किसी अभिलेख/खाते में कटिंग एवं ओवर राइटिंग न किया जाए। अपरिहार्य परिस्थिति में यदि कटिंग आवश्यक हो तो सूक्ष्म हस्ताक्षर द्वारा कटिंग का प्रमाणीकरण किया जाए। ओवर राइटिंग कदापि न किया जाए।

8. शाखाओं पर रखे जाने वाले खातों/ अभिलेखों की शुद्धता एवं शुचिता का ध्यान रखा जाए।

9. लाभांश के सम्बंध में बैंक के परिपत्र संख्या–सी–60/लेखा/2016–17 दिनांक 26.10.2017 द्वारा लाभांश के समायोजन हेतु आवश्यक निर्देश दिए गऐ जिसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है यह अत्यन्त ही गंभीर विषय है। पुराने लाभांश जिसका समायोजन/भुगतान सम्बंधित ऋणी कृषकों को नहीं किया गया है को यथाशीघ्र समायोजन/ भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।

10. जिन ऋण खातों की पूर्ण अदायगी हो गयी हो, पर शाखा प्रबंधक द्वारा यह प्रमाण–पत्र अंकित किया जाए कि ऋण खाते की सम्पूर्ण अदायगी के पश्चात् कोई भी धनराशि समायोजन हेतु अवशेष नहीं है एवं अवशेष लाभांश का नियमानुसार खाते में समायोजन कर दिया गया है अथवा भुगतान कर दिया गया है।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(के0पी0सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

.....3.....

प्रतिलिपि निम्न को सूचनायें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलीय/जनपदीय पर्यवेक्षक उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय–लखनऊ।
2. समस्त अधिकारीगण,उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय–लखनऊ।
3. प्राचार्य, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
4. प्रबन्धक श्रेणी–2, (ITCell)उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय लखनऊ को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करने हेतु।

9/3/18

(शैलेश आनन्द)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी